।। कार्यालय, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग– 246171 ।।

उत्कृष्टता केन्द्रः ज्ञान गंगा

प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहायतार्थ *यथासम्भव निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क* कोचिंग केन्द्र

आमुख (PREFACE)

जनपद प्रशासन रुद्रप्रयाग, की ओर से लक्ष्य परक एवम् उत्तराखण्ड की प्रतिभाशाली युवा शक्ति को राज्य एवम् राष्ट्र सेवा करने के विभिन्न अवसरों को परिलब्ध बनाने के निमित्त, गुणात्मक एवम् दूरदर्शी अभिनव प्रयास के माध्यम से, जनपद के परीक्षोन्मुखी अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में साधक एवम् सहयोगी वातावरण के सृजन की पहल के सदुद्देश्य को केन्द्रस्थ रखते हुये, इण्डियन औइल निगम एवम् भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से नगर के केन्द्र में निर्मित उत्कृष्टता केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' में पेशेवर शैक्षिक मार्गदर्शन द्वारा अनगढ़ प्रतिभाओं को उनके ज्ञान तथा कौशल में अभिवृद्धि कराते हुये एक सशक्त मंच प्रदान करना है, जहाँ से राज्य एवम् राष्ट्र की सेवा हेतु प्रखर एवम् समर्पित लोक सेवक अपने नैतिक बल से राज्य एवम् राष्ट्र के विकास एवम् निर्माण की अनवरत प्रक्रिया के आधारभूत स्तम्भ बनकर समग्र भाव से जीविकोपार्जन करते हुये अपना मूल्यवान योगदान दे सकें। जनपद प्रशासन के सहयोग तथा राज्य की, संसाधनों से वंचित प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के एकाधिक अवसर प्रदान करने में राष्ट्र की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित उत्तराखण्ड राज्य के सरोकारों से सम्बद्ध एक गैर सरकारी संगठन, उत्तरायणी संगठन द्वारा इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देने की पहल भी सराहनीय है। जनपद प्रशासन तथा उत्तरायणी के युग्म मेल से परीक्षोन्मुखी अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्रदान करने की यह अभिनव पहल अपने विकास के विभिन्न सोपानों की यात्रा से एक स्वर्णिम कीर्ति गाथा में परिणत होगी, इन्हीं शुभांकांक्षाओं के साथ श्री केदारनाथ भगवान के आशीर्वाद से इस यात्रा का प्रादुर्भाव उत्कृष्टता केन्द्र की वीथिका से लक्षित गन्तव्य को समर्पित है।

केन्द्र संचालन हेतु प्रक्रियागत चरण

आधिकारिक इ–मेल आइ डी, फेसबुक पृष्ठ एवम् वेबसाइट का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

अभ्यर्थियों का चयन :–

यथासम्भव निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क, जिसका निर्धारण औपचारिक रूप से एकीकृत प्रबन्धन समिति के गठन के उपरान्त, समिति द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा तथा इसके आधार पर कोचिंग केन्द्र हेतु अभ्यर्थियों का चयन सामान्य प्रवेश परीक्षा से किया जाएगा। प्रत्येक नये बैच के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन पूर्व एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करने के लिए लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों तथा केन्द्र की वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित कराकर एवम् महाविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को कोचिंग केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जा सके।

शिक्षक चयन समिति :–

कोचिंग केन्द्र में अंग्रेजी (English),हिन्दी, तार्किक अध्ययन (Reasoning),गणित (Mathematics)तथा सामान्य अध्ययन (General Studies) आदि विषयों के शिक्षण हेतु एकीकृत प्रबन्धन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के उद्देश्य से लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों तथा केन्द्र की वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित कराकर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता केन्द्र में संचालित पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षकों का चयन किया जायेगा। यह पद नितान्त अस्थायी प्रकृति के होंगे तथा स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धी कोई दावा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। कदाचार का आरोप लगने पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये प्राधिकृत जाँच समिति द्वारा एक निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण करते हुये अपनी संस्तुति समिति के समक्ष रखी जायेगी जिसपर तदनुसार अन्तिम निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा। कदाचार की प्रकृति के अनुसार जाँच समिति का गठन समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। यदि अध्ययन–अध्यापन में लापरवाही अथवा किसी अन्य कारण से शिक्षक को पदच्युत करने का

विषय होगा, वहाँ समिति के सदस्य सचिव द्वारा सम्बन्धित शिक्षक को एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस देते हुये पदच्युत करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिकृत किया जाएगा, परन्तु नोटिस निर्गत होने के तीन दिनों के अन्दर, शिक्षक को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जायेगा तथा पक्ष सुनने के उपरान्त समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।

केन्द्र निदेशक, चयन समिति :–

एकीकृत प्रबन्धन समिति द्वारा एक पैनल गठित कर जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकेंगे, विज्ञापन के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेंगे तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से केन्द्र निदेशक का चयन किया जायेगा तथा चयन के उपरान्त कार्य प्रणाली का सतत मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। यह पद नितान्त अस्थायी प्रकृति का होगा तथा स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धी कोई दावा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। कदाचार का आरोप लगने पर केन्द्र निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये प्राधिकृत जाँच समिति द्वारा एक निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण करते हुये अपनी संस्तुति समिति के समक्ष रखी जायेगी जिसपर तदनुसार अन्तिम निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा। कदाचार की प्रकृति के अनुसार जाँच समिति का गठन समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। यदि केन्द्र संचालन में लापरवाही अथवा किसी अन्य कारण से निदेशक को पदच्युत करने का विषय होगा, वहाँ समिति के सदस्य सचिव द्वारा निदेशक को एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस देते हुये पदच्युत करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिकृत किया जाएगा, परन्तु नोटिस निर्गत होने के तीन दिनों के अन्दर, निदेशक को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जायेगा तथा पक्ष सुनने के उपरान्त समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।

वित्त प्रबन्धन कार्यः–

कोचिंग केन्द्र की दैनिक गतिविधियों के निर्बाध रूप से संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों/निगमित सैक्टर (Corporate Sector) बैंकों की सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व कोष (CSR Fund), इच्छुक स्वयम् सेवी संस्थाओं तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समिति का एक प्रमुख कार्य कोचिंग केन्द्र के निरन्तर संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों पर तत्परता से कार्य करता रहेगा।

ज्ञान गंगाः केन्द्र संचालन कार्य योजना

केन्द्र में एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी से प्रादुर्भाव करते हुये उच्चतर से उच्चतम परीक्षा की ओर अग्रसर होने को लक्षित किया गया है, जहाँ प्रारम्भ में एस0एस0सी0, समूह 'ग', बैंकिंग से सम्बद्ध परीक्षाओं की तैयारियों के लिये प्रशिक्षित पेशेवर प्रशिक्षण प्रदाताओं की सेवायें प्राप्त की जायेंगी तथा प्रशिक्षणार्थियों की रुचि एवम् रुझान के अनुसार भविष्य में कक्षाओं का स्वरूप विवकसित किया जायेगा, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा सेवा, नीट, जे0इ0इ0, कृषि विज्ञान बोर्ड राज्य लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को केन्द्र में अंगीकृत किया जायेगा।

इस अभिनव प्रयोग के तहत कोचिंग केन्द्र का ज्ञान गंगा नामक एक यू–ट्यूब चैनल बनाया जाना सम्भावित है, जिसमें निरन्तर शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यानों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले प्रतियोगी परीक्षा सम्बन्धी परामर्श तथा प्रेरक व्याख्यानों का सजीव प्रसारण किया जा सकेगा। साथ ही कोचिंग केन्द्र का एक फेसबुक पृष्ठ ''ज्ञान गंगा' के नाम से बनाया जा सकेगा है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनेक युवा जुड़ सकते हैं। कोचिंग केन्द्र की अपनी वैबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आइ0सी0) का सहयोग प्राप्त करते हुये तैयार की जा सकेगी, जिसके माध्यम से कोचिंग केन्द्र की समस्त गतिविधियों के साथ–साथ प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी आदि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी। उक्त तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं तक पहुँचने का प्रयास सफल हो सकता है जो आर्थिक कारणों से किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। केन्द्र का प्रयास रहेगा कि, कौशल विकास के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे,ताकि अधिकाधिक युवा इस अभिनव पहल का लाभ उठा सकें।

कोचिंग केन्द्र के सुचारू रूप से कार्यान्वित होने पर एक उच्च परिभाषा कैमरा (High Definition Camera) क्रय किया जा सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी करते हुये व्याख्यानों की वीडियोग्राफी को यू–ट्यूब चैनल के माध्यम से जनपद एवम् राज्य के सुदूरवर्ती एवम् आन्तरिक भागों में

अध्ययनरत विद्यार्थियों के लाभार्थ अध्ययन हेतु प्रक्षेपक(Projector) द्वारा एक सजीव प्रस्तुतिकरण का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकेगा। कोचिंग केन्द्र के अभ्यर्थियों को कैरियर गाइडेंस बुकलेट उपलब्ध करायी जानी विवरणीय होगी, जिनमें कक्षा 12 वीं के बाद उपलब्ध कैरियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद आदि शैक्षिक संस्थाओं द्वारा समय–समय पर प्रकाशित सूचनाओं तथा विज्ञापनों को विद्यार्थियों तक सुलभ बनाने का कार्य किया जायेगा। साथ ही इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्रता की शर्तें, विज्ञापन की सम्भावित तारीख आदि का विस्तृत विवरण भी सुलभ बनाया जायेगा। कोचिंग केन्द्र के पास वर्तमान में अध्ययन हेतु विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं, जिन्हें यथा आवश्यकता अधिकाधिक विस्तारित किया जायेगा। कोचिंग केन्द्र के सूचना पट्ट पर आगामी परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

कोचिंग एवम् कौशल विकास केन्द्र को निरन्तर सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक एकीकृत प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा एक उप समिति का गठन करते हुये कोचिंग केन्द्र की दैनिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा जिसमें विभिन्न कार्यों यथा वित्तीय व्यवस्था प्रबन्धन, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन, वीडियोग्राफी आदि की सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

गैर सरकारी संगठन के साथ सहकार्य

कोचिंग एवम् कौशल विकास केन्द्र को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ सह सम्बद्ध(Empanelled) करते हुये नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी पंजीकृत संस्था उत्तरायणी संगठन के साथ एक सहमति पत्र(MOU)हस्ताक्षर किया जाना निम्नानुसार सुनिश्चित किया गया है

गैर सरकारी पंजीकृत संस्था उत्तरायणी संगठन जो वर्तमान में 302–303 भीकाजी कामा भवन, भिकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली– 110066 पते पर अवस्थित है, को उसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में किये जा रहे सामाजिक सारोकार के कार्यों के दृष्टिगत सहयोगी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। उक्त कोचिंग केन्द्र को विधिवत संचालित करने हेतु प्रथम पक्ष(जनपद रुद्रप्रयाग प्रशासन) तथा द्वितीय पक्ष (उत्तरायणी संगठन) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर सहमति हुई है।

सहकार्य सम्बन्धी शर्तें तथा बाध्यतायें

1. यह कि, आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली *अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क अथवा एकीकृत प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क के आधार पर कोचिंग केन्द्र,* ''ज्ञान गंगा'' के नाम से संचालित किया जायेगा ।
2. यह कि, उक्त कोचिंग सेंटर ''इण्डियन औइल निगम'' एवम् ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' के सहयोग से रुद्रप्रयाग नगर में निर्मित ''ज्ञान गंगा'' नामक भवन के कक्षों में संचालित किया जायेगा।
3. यह कि, दोनों पक्ष कोचिंग केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्धारण तथा पेशेवर विषय विशेषज्ञों का चयन एकीकृत प्रबन्धन समिति के माध्यम से करेंगे।
4. यह कि कोचिंग केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों से वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा औद्योगिक इकाइयों/राष्ट्रीयकृत एवम् निजी बैकों तथा अन्य विभिन्न स्वयम् सेवी संस्थाओं के सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व निधि (CSR Fund) तथा अन्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से धनराशि प्राप्त करने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा यथासम्भव प्रयास के आधार पर किया जायेगा। उत्तरायणी इस सम्बन्ध में पत्राचार द्वारा अपनी अनुश्रवण प्रबन्धन समिति के माध्यम से संस्तुति संगठनों के नाम समेत केन्द्र/जनपद प्रशासन को भेजेगी। जनपद प्रशासन द्वारा संगठनों को प्रस्ताव भेजे जाने के उपरान्त उत्तरायणी यथासम्भव प्रयास कर संगठनों के साथ सम्बन्ध बनाये रहेगी और प्रस्ताव की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी तथा इसकी सूचना केन्द्र/जनपद प्रशासन को भी देती रहेगी।
5. यह कि, प्राप्त मौद्रिक सहायता के विधिपूर्वक समाशोधन हेतु कोचिंग केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में *एक बचत/चालू खाता खोला जायेगा* तथा प्राप्त समस्त धनराशि को केवल इसी खाते में जमा किया जायेगा उक्त खाते का संचालन दो राजपत्रित अधिकारियों, क्रमशः मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, चूंकि उभय अधिकारी स्वयम् में सम्बन्धित विभाग के आहरण–वितरण अधिकारी होने के साथ–साथ अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत ही क्रय सम्बन्धी

कार्यों का निष्पादन करते हैं अतः विधि सम्मत कार्यों में दक्षता के आधार पर यह कार्य उक्त दोनों राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

6. यह कि, उक्त बैंक खाते से सभी भुगतान On line/Cheque द्वारा किये जायेंगे। कोई भी भुगतान नकद नहीं किया जायेगा। वैसे ही प्राप्तियाँ भी On line/Cheque द्वारा सुसंगत बैंक खाते में जमा की जायेंगी

7. यह कि, किसी शिकायत के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान चेक द्वारा दोनों राजपत्रित अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रति माह किया जायेगा एवम् कोचिंग केन्द्र संचालन के लिए अन्य व्यवस्थाओं पर किये जाने वाले अधिकतम ₹15000 (₹ पन्द्रह हजार) तक के व्यय का भुगतान केन्द्र निदेशक द्वारा व्यय औचित्य पत्रावली पर औचित्य का उल्लेख करते हुये जिला सेवायोजन अधिकारी के माध्यम से, मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति एवम् अनुमति प्राप्त करते हुये मात्र चेक से अथवा औनलाइन किया जायेगा। इससे अधिक की धनराशि का भुगतान मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चेक द्वारा किया जायेगा।

8. यह कि, केन्द्र निदेशक, *उक्त बचत/चालू खाते से हुए* समस्त लेन देन का विवरण माह वार वरिष्ठ कोषाधिकारी के समक्ष तथा त्रैमासिक आधार पर एकीकृत प्रबन्धन समिति के समक्ष रखेंगे।

9. यह कि प्रथम पक्ष एवम् द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर कोचिंग केन्द्र के साथ–साथ कौशल विकास से सम्बन्धित अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी।

10. यह कि, कोचिंग केन्द्र के प्रबन्धन तथा संचालन के सम्बन्ध में किसी आकस्मिकता की स्थिति में अल्प कालीन नोटिस के आधार पर भी उभय पक्षों में से कोई एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में अधिकृत होगा, परन्तु उस बैठक में गणपूर्ति ग्यारह सदस्यों के सापेक्ष 06 सदस्यों की होनी अनिवार्य है। किसी भी बैठक में आम सहमति से निर्णय लिये जाने को प्राथमिकता प्राप्त होगी, परन्तु आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में अध्यक्ष,एकीकृत प्रबन्धन समिति/जिलाधिकारी अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

11. किसी प्रकार के विवाद अथवा न्यायिक विषय उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक वाद का क्षेत्राधिकार जनपद रुद्रप्रयाग के न्यायालय के अन्तर्गत सन्नीहित होगा।

केन्द्र का निर्माण जिस उपर्युक्त उद्देश्य से किया गया था, उसको प्राप्त करने के लिये जनपद स्तर पर प्रबन्धन एवम् संचालन समिति को गठित एवम् कार्यान्वित किये जाने के प्रयोजन से समिति का स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र निम्नवत प्रस्तावित हैः–

एकीकृत प्रबन्धन समिति (Integrated Management Committee)

उत्कृष्टता केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' को विधिवत संचालित करने हेतु एक समष्टि स्तरीय (Macro Level) ग्यारह सदस्यीय समिति कार्य करेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगाः–

क्रमांक	समिति में पदनाम	पद धारक
01	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
02	उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी
03	सदस्य	मुख्य शिक्षा अधिकारी
04	सदस्य	वरिष्ठ कोषाधिकारी
05	सदस्य सचिव	जिला सेवायोजन अधिकारी
06	सदस्य	जिला अर्थ एवम् संख्या अधिकारी
07	सदस्य	जिला सूचना अधिकारी
08	सदस्य	उत्तरायणी संस्था द्वारा नामित संस्था के दो सदस्य
09	विशेष आमन्त्रित सदस्य	जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशिष्ट समाज सेवी
10	सदस्य	निदेशक, उत्कृष्टता केन्द्र

उपर्युक्त समिति की गणपूर्ति हेतु आहूत बैठक में न्यूनतम छह सदस्य अनिवार्यतः होने आवश्यक हैं। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आहूत बैठक में कोई सदस्य उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि प्रतिनिधि भी पूर्व निर्धारित बैठक

में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो तत्समय उपस्थित सदस्यों के द्वारा लिये गये निर्णय समिति द्वारा स्वीकार किये जावेंगे, तथा ऐसे किसी भी निर्णय में संशोधन अथवा परिवर्तन समिति की पूर्ण सदस्यों की उपस्थिति होने पर तथा दो तिहाई बहुमत के आधार पर ही संशोधित किये जा सकेंगे। साथ ही यह भी कि, किसी विषय पर आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में अध्यक्ष, एकीकृत प्रबन्धन समिति/जिलाधिकारी अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। *प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के उपरान्त, उत्तरायणी संस्था के दो नामित सदस्यों तथा विशेष आमन्त्रित सदस्य के स्थान पर उत्तरायणी एवम् जिलाधिकारी महोदय द्वारा नये सदस्य नामित किये जायेंगे।*

:–एकीकृत प्रबन्धन समिति (Integrated Management Committee) के कार्यः–

1. उत्कृष्टता केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' में संचालित कोचिंग तथा प्रबन्धन कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा।
2. उत्कृष्टता केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' के वित्तीय कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 यथा संशोधित 2018 के प्रावधानों के आधार पर केन्द्र प्रबन्धन समिति के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुये, यथा आवश्यकता क्रय समिति के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करवाना।
4. विद्यार्थियों की किसी नई कोचिंग अथवा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी कोई लिखित अनुरोध हो तो उस पर सम्यक रूप से विचार करते हुये निर्णय लेना तथा समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
5. किसी शैक्षणिक एवम् शिक्षणेतर संकाय सदस्य(Faculty Member) की नियुक्ति अथवा पदच्युति सम्बन्धी केन्द्र की आवश्यकता के सम्बन्ध में (तत्समय यदि कोई हो तो) अन्तिम निर्णय लेना।
6. केन्द्र निदेशक, एकीकृत प्रबन्धन समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें शैक्षणिक संकाय के कोचिंग सम्बन्धी कार्यों तथा प्रयासों का मूल्यांकन किया गया होगा, जिसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के मन्तव्य भी सम्मिलित होंगे तथा उसके आधार पर यह समिति निर्णय लेते हुये आवश्यक निर्देश देगी।
7. कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार के संशोधन,परिवर्धन अथवा परिवर्तन हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी
8. अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु।

इसके अतिरिक्त उत्कृष्टता केन्द्र ''ज्ञान गंगा'' को विधिवत संचालित करने हेतु एक व्यष्टि स्तरीय (Micro Level) तीन सदस्यीय समिति जो दैनिक आधार पर केन्द्र की आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों के न्यूनीकरण हेतु कार्य सम्पन्न करेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगाः–

केन्द्र प्रबन्धन समिति (Centre Management Committee)

इस तीन सदस्यीय समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः–

क्रमांक	समिति में पदनाम	पद धारक
01	केन्द्रिक अधिकारी	जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी
02	निदेशक/प्रबन्धक	एकीकृत प्रबन्धन समिति द्वारा चयनित निदेशक/प्रबन्धक
03	व्याख्याता	केन्द्र में कार्यरत वरिष्ठतम व्याख्याता से प्रारम्भ करते हुये

:– केन्द्र प्रबन्धन समिति (Centre Management Committee) के कार्यः–

1. केन्द्रिक अधिकारी, का दायित्व मुख्यतः केन्द्र की व्यवस्थाओं पर दृष्टि बनाये रखना होगा।
2. *केन्द्र निदेशक को दैनिक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये अधिप्राप्ति नियमावली 2015 यथा संशोधित 2018 के अन्तर्गत जिला सेवायोजन अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से पूर्वानुमति एवम् स्वीकृति प्राप्त करते हुये अधिकतम ₹15,000.00 (₹ पन्द्रह हजार) तक का भुगतान चेक अथवा औनलाइन माध्यम से ही करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी,* जिसका विधिवत लेखा–जोखा अनिवार्यतः धारित किया जायेगा तथा शिक्षा विभाग के वित्त अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा अर्ध वार्षिक आधार पर परीक्षण किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट भी एकीकृत प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इसके साथ कोचिंग कक्षाओं के नियमित एवम् समयबद्ध संचालन के साथ–साथ अध्ययनरत अभ्यर्थियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, वाद–विवाद जैसी

अन्य पद्धतियों के माध्यम से भी केन्द्र की शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करेंगे।इस हेतु प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियाँ निर्धारित एवम् कार्यान्वित करेंगे

3. वरिष्ठतम व्याख्याता(Senior most Lecturer of the Faculty)/*निदेशक* की भूमिका मुख्यतः कोचिंग की गुणवत्ता तथा कोचिंग के उन्नयन से सम्बन्धित सुझावों को लेकर होगी ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों को अद्यावधिक एवम् उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधायें अनवरत सुलभ रहें। क्रमावर्तनानुसार (On the basis of Rotation) संकाय के सभी सदस्य इस समिति के सदस्य बनेंगे ताकि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने सुझाव दे सके तथा जिनको त्रैमासिक होने वाली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।
4. समिति माह में पाक्षिक आधार पर केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु एक नियमित बैठक आयोजित करेगी, जिसमें केन्द्र की आवश्यकताओं तथा शैक्षिक उन्नयन के सम्बन्ध में अनुश्रवण तथा कार्यों के गुणात्मक मूल्यांकन के अतिरिक्त अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को भी सम्बोधित किया जायेगा तथा इसका कार्यवृत्त बनाते हुये एकीकृत प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा एकीकृत प्रबन्धन समिति त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करते हुये केन्द्र प्रबन्धन समिति को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेगी तथा प्रति–पुष्टि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों से सम्वाद करने की भी व्यवस्था निर्धारित करेगी, जिसके अन्तर्गत यथाआवश्यकता केन्द्र में ही मिलन समारोह आयोजित किया जा सकेगा।
5. समिति अपने कार्यों की एक स्वमूल्यांकन आख्या भी बनायेगी जिसमें अपनी उपलब्धियों तथा निराकरण योग्य कमियों को रेखांकित करेगी, जिस पर एकीकृत समिति अपने सुझावों तथा दिशा–निर्देश के माध्यम से गुणात्मक समाधान देगी।
6. भण्डारण पंजिका सन्धारित करते हुये, केन्द्र में उपलब्ध समस्त संसाधनों का विवरण रखेगी तथा उनके अनुरक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता एकीकृत प्रबन्धन समिति को भी अवगत करायेगी। इस भण्डार पंजिका का अवलोकन केन्द्रिक अधिकारी द्वारा हर त्रैमास में किया जायेगा।
7. प्रवेश परीक्षा एवम् शिक्षण सत्र के दौरान ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन समिति का गठन प्रस्तावित किया जायेगा जब तक केन्द्र में विविध प्रकार की परीक्षाओं की कोचिंग संचालित नहीं होंगी, तब तक एक प्रवृत्ति एवम् एक प्रकार की परीक्षाओं हेतु इस समिति द्वारा यह कार्य किया जायेगा। उक्त समिति का प्रमुख दायित्व विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना होगा।
8. केन्द्र परिसर की सुरक्षा एवम् स्वच्छता सम्बन्धी विषयों को भी सम्बोधित करेगी।
9. अन्य कोई कार्य जिसे एकीकृत प्रबन्धन समिति द्वारा इस समिति को सौंपा जाये।

(01)

जनपद रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

हस्ताक्षरः .....

नामः (कपिल पाण्डे)

पदनामः जिला सेवायोजन अधिकारी,रुद्रप्रयाग।

जिला सेवायोजन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

स्थानः रुद्रप्रयाग।

दिनांकः 07 दिसम्बर 2019।

साक्षी– जनपद प्रशासन

(01)

उत्तरायणी संस्था की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत पदधारक

हस्ताक्षरः .....

नामः (हरीश चन्द्र जयाल),

संस्था में पदनामः सदस्य

(प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता, उत्तरायणी)

साक्षी– उत्तरायणी संस्था

(02)

जनपद रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

हस्ताक्षरः .....

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद (रुद्रप्रयाग)

नामः (चित्रानन्द काला)

पदनामः मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

स्थानः रुद्रप्रयाग।

दिनांकः 07 दिसम्बर 2019।

(02)

उत्तरायणी संस्था की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत पदधारक

हस्ताक्षरः .....

नामः (जगदीश प्रसाद बहुखण्डी),

संस्था में पदनामः सदस्य, संयोजक समिति।

PRESIDENT UTTARAYANI
Regn. No, S-30390
302-303, Bhikaji Cama Bhawan